

## e-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0सं0:- 17-सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)-95/2019-पार्ट-I 4908

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा०प्र०से०  
अपर मुख्य सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

मंडल रेल प्रबन्धक (DRM),  
उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे,  
कटिहार।

पटना, दिनांक : 13/06/2023

विषय :- बिहार राज्य में संचालित विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया के आलोक में आपके मंडल अधीन रेलवे की भूमि का व्यौरा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत रैयतों के अधिकार-अभिलेख एवं ग्रामवार मानचित्र बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस कार्य के तहत प्रथम चरण में वर्तमान में राज्य के 20 जिलों यथा— बेगूसराय, लखीसराय, अररिया, सीतामढी, सुपौल, मधेपुरा, प०चम्पारण, शेखपुरा, जमुई, शिवहर, बांका, जहानाबाद, अरवल, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णियाँ, मुंगेर, नालंदा एवं खगड़िया में ग्रामवार मानचित्र निर्माण का कार्य प्रगति पर है एवं राज्य के शेष 18 जिलों में अगस्त, 2023 से कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के आलोक में स्पष्ट करना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया के क्रम में रेलवे की भूमि का सीमांकन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो रहा है एवं सीमांकन के अभाव में रेलवे लाईन के साथ संलग्न भूमि एवं रेलवे द्वारा अन्य उपयोग में लाई जा रही भूमि से सम्बद्ध भूमि के रैयतों द्वारा भू-स्वामित्व के दावों में रेलवे की भूमि स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं हो पा रही है। इस समस्या के कारण रैयतों द्वारा किए जा रहे दावों के आलोक में रेलवे की भूमि का अधिकार-अभिलेख रैयतों के नाम पर निर्धारित होने की प्रबल सम्भावना है।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि रेलवे विभाग के स्वामित्व अन्तर्गत भूमि की विवरणी प्राथमिकता के आधार पर प्रथम चरण के 20 जिलों एवं तत्पश्चात् शेष 18 जिलों के रेलवे की भूमि की विवरणी जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों को निदेशित किया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

9/6/23  
(ब्रजेश मेहरोत्रा) 9/6/23

अपर मुख्य सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17-सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)-95/2019-पार्ट-I 4908 पटना, दिनांक: 13/06/2023

प्रतिलिपि:- महाप्रबन्धक, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे, गुवाहाटी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से भी संबंधित मंडल के मंडल रेल प्रबन्धक को जिला बन्दोबस्त पदाधिकारी को रेलवे भूमि विवरणी उपलब्ध कराने हेतु कृपया निदेशित करने की कृपा की जाए।

9/6/23  
अपर मुख्य सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।

## e-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

स0स0:- 17-सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)-95 / 2019-पार्ट-I.....

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा०प्र०से०  
अपर मुख्य सचिव,  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

मंडल रेल प्रबन्धक (DRM),  
उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे,  
कटिहार।

पटना, दिनांक :-

विषय :- बिहार राज्य में संचालित विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया के आलोक में आपके मंडल अधीन रेलवे की भूमि का व्यौरा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार राज्य में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अंतर्गत रैयतों के अधिकार-अभिलेख एवं ग्रामवार मानचित्र बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस कार्य के तहत प्रथम चरण में वर्तमान में राज्य के 20 जिलों यथा— बेगूसराय, लखीसराय, अररिया, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, प०चम्पारण, शेखपुरा, जमुई, शिवहर, बांका, जहानाबाद, अरवल, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, पूर्णियाँ, मुंगेर, नालंदा एवं खगड़िया में ग्रामवार मानचित्र निर्माण का कार्य प्रगति पर है एवं राज्य के शेष 18 जिलों में अगस्त, 2023 से कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के आलोक में स्पष्ट करना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया के क्रम में रेलवे की भूमि का सीमांकन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो रहा है एवं सीमांकन के अभाव में रेलवे लाईन के साथ संलग्न भूमि एवं रेलवे द्वारा अन्य उपयोग में लाई जा रही भूमि से सम्बद्ध भूमि के रैयतों द्वारा भू-स्वामित्व के दावों में रेलवे की भूमि स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं हो पा रही है। इस समस्या के कारण रैयतों द्वारा किए जा रहे दावों के आलोक में रेलवे की भूमि का अधिकार-अभिलेख रैयतों के नाम पर निर्धारित होने की प्रबल सम्भावना है।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि रेलवे विभाग के स्वामित्व अन्तर्गत भूमि की विवरणी प्राथमिकता के आधार पर प्रथम चरण के 20 जिलों एवं तत्पश्चात् शेष 18 जिलों के रेलवे की भूमि की विवरणी जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित पदाधिकारियों को निदेशित किया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

अपर मुख्य सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 17-सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)-95 / 2019-पार्ट-I .....पटना, दिनांक:.....

प्रतिलिपि:- महाप्रबन्धक, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे, गुवाहाटी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से भी संबंधित मंडल के मंडल रेल प्रबन्धक को जिला बन्दोबस्त पदाधिकारी को रेलवे भूमि विवरणी उपलब्ध कराने हेतु कृपया निदेशित करने की कृपा की जाए।

ह0/-

अपर मुख्य सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,

बिहार, पटना।

e-Mail

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक: 17—सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019—पार्ट—I ५९०८ पटना, दिनांक: १३/०६/२०२३

प्रतिलिपि:— समाहर्ता, सहरसा/किशनगंज/कटिहार/मुंगेर/नालंदा/खगड़िया/पूर्णियाँ/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/प०चम्पारण/जमुई/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*13/06/23*  
सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक: 17—सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019—पार्ट—I ५९०८ पटना, दिनांक: १३/०६/२०२३

प्रतिलिपि:— बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहरसा/किशनगंज/कटिहार/मुंगेर/नालंदा/खगड़िया/पूर्णियाँ/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/प०चम्पारण/जमुई/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*13/06/23*  
सहायक निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17—सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019—पार्ट—I ५९०८ पटना, दिनांक: १३/०६/२०२३

प्रतिलिपि: अपर समाहर्ता/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०) बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/जहानाबाद/किशनगंज/अररिया/कटिहार/पूर्णियाँ/सीतामढ़ी/सुपौल/सहरसा/मधेपुरा/प०चम्पारण/जमुई/मुंगेर/नालंदा/शिवहर/बांका/अरवल/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*13/06/23*  
सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17—सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019—पार्ट—I ५९०८ पटना, दिनांक: १३/०६/२०२३

प्रतिलिपि: जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*13/06/23*  
सहायक निदेशक

ज्ञापांक: 17—सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019—पार्ट—I ५९०८ भू-अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि: प्रशास्त्रा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*13/06/23*  
सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17—सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019—पार्ट—I ५९०८ पटना, दिनांक: १३/०६/२०२३

प्रतिलिपि: श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई०टी० सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*13/06/23*  
सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 17—सरकारी भूमि (अनुरक्षण कोषांग)–95/2019—पार्ट—I ५९०८ पटना, दिनांक: १३/०६/२०२३

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

*13/06/23*  
सहायक निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप